sub judice. However, the NCCF will conduct departmental enquiry for fixing responsibility after the case is finalised.

Electrolytic Manganese metal

2622. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up an Electrolytic Manganese metal project at Baraigarh in Sundergarh district of Orissa;

(b) whether Government are likely to give clearance to the project soon;

(c) if so, the details of the site selected for the project; and

(d) the capacity and the estimated cost of the project?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

पेयजल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत लाये गये राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र

2624. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेयजल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन अब तक राजस्थान के कितने ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं; और

(ख) इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितने ग्राम शामिल किये जाते हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में शुरू हुआ था। मिशन के अन्तर्गत राजस्थान के सभी जिलों के शेष समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। बाड़मेर, पुरू तथा नागौर के मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों (जिलों) के अन्तर्गत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मिशन आरम्भ में पता लगाए गए 5443 समस्याग्रस्त गांव थे। इसमें से, 1986-87 में 1368 समस्याग्रस्त गांव, 1987-88 में 1101 तथा 1988-89 (31-1-89 तक) में 1142 गांव कवर किए गए थे, शेष 1832 समस्याग्रस्त गांवों को सातवीं योजना की शेष अवधि में कवर किया जाना है।

Decontrol of Aluminium

2624. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to decontrol Aluminium; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) and (b) The control over prices and distribution of aluminium has been removed from 1st March, 1989.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के खण्ड संख्या-3 में मरम्मत कार्यों, पार्कों के लिये फर्जी भुगतान

2625. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली तिमाही के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के उत्तरी दिल्ली के खण्ड संख्या तीन के अधिशासी अभियन्ता ने नेहरू विहार, गोपालपुर, जामा मस्जिद और ओटरमलेन में पार्कों की मरम्मत, सड़क निर्माण, तथा सीवरों और नालियों के काम से सम्बन्धित भुगतान फर्जी कागजों पर कराये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी एजेंसी के माध्यम से इस बारे में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो दस लाख से अधिक राशि के घपले के इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और